>

Title : Need to create a separate Poorvanchal state.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत संघ के नये राज्य के गठन की जरूरत का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। ...(व्यवधान) संप्रति भारत संघ में 29 राज्य एवं 7 संघ क्षेत्र हैं। भारतवर्ष दुनिया का बड़ी आबादी वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी कम होते हुए भी वहां राज्यों की संख्या 50 है। देश के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक आवश्यकता होती है। ...(व्यवधान)

देश के अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विशेषता होती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां की जरूरत को वहां की अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से त्वरित एवं निकट से शासन के सुन्दर प्रयास के माध्यम से उन क्षेत्रों को उन्नत बनाया जा सकता है।...(व्यवधान)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 भोजपुरी भाषी जिलों एवं बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, छपरा आदि जिलों को मिलाकर आज पूर्वांचल राज्य का गठन अनिवार्य है। जिसकी राजधानी वाराणसी में हो। पूर्वांचल राज्य की चिर-प्रतीक्षित मांग अब उम्मीदों में बलवती हुई है। पूर्वांचल क्षेत्र के नागरिकों ने पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है।...(व्यवधान)

12.13 hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members went back to their seats.

माननीय अध्यक्ष : छेदी पासवान जी, जीरो ऑवर में पढ़ते नहीं हैं, आप मुद्दा उठाइये, बस आपकी बात पूरी हो गई।

श्री छेदी पासवान : अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भोजपुरी भाषा-भाषी जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य का गठन कराने की कृपा करें।